न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 13/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अजायब सिंह पुत्र आशा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. नायब सिंह पुत्र आशा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. जगदीश सिंह पुत्र आशा सिंह जटसिख निवासी चक 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. हिम्मत सिंह बराड पुत्र नत्था सिंह बराड जटसिख निवासी चक 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:- 16.02.2021

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 5/10/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 20 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 7/6 के मुरब्बा नम्बर 40 व 41 की कुल 12.522 हैक्टर नहरी भूमि वादगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पिता आशा सिंह पुत्र टेक सिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। आशा सिंह की मृत्यू होने के पश्चात आशा सिंह के नाम की उक्त समस्त कृषि भूमि जरिये विरास्तन नामातंरण दिनांक 05.08.2020 को आशा सिंह के विधिक उतराधिकारियों जगदीश सिंह, कुलविन्द्र कौर, अजायब सिंह, हरप्रीत कौर, नायब सिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। कुलविन्द्र कौर व हरप्रीत कौर ने अपना हिस्सा हम तीनों भाईयों अजायब सिंह, नायब सिंह, जगदीश सिंह को बहिस्सा बराबर हकत्याग कर दिया, जिसका नामान्तरण संख्या 399 दिनांक 23.10.2020 जमाबन्दी में दर्ज हुआ है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 4.174 हैक्टर प्रत्येक दर्ज हुई है। जगदीश सिंह ने अपने हिस्सा में से 0.759 हैक्टर नहरी कृषि भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को कर दिया, जिसका नामान्तरण संख्या 402 दिनांक 23.11.2020 जमाबन्दी में दर्ज हुआ। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता में सभी काश्तकारान के नाम उनके हिस्सा के अनुसार दर्ज है। उक्त सम्पति का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत संयुक्त खाता की कृषि भूमि में प्रत्येक सहखातेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। इस कारण जगदीश सिंह ने पूर्व में भी अपने हिस्सा की कृषि भूमि का बिना विधिवत विभाजन करवाये बेचान कर दिया था। अब पुनः जगदीश सिंह अपने नाम दर्ज कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का फायदा उठाते हुए, बिना विधिवत विभाजन करवाये बेचान करने पर उतारू है जिस हेतु वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश सिंह को कई बार कहा कि कृषि भूमि का अपने हिस्सा व कब्जा अनुसार किलावाईज विभाजन करवा लें, उसके उपरांत प्रत्येक कार हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि को बेचान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। लेकिन जगदीश अपने हिस्सा व कब्जा में आई कृषि भूमि को बेचान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। लेकिन जगदीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:01 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

सिह अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को जल्द ही किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करना चाहता है। यदि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये बिना बेचान कर दिया जाता है तो नये खरीददार के खातेदार बनने से हमारा कब्जे, रास्ता, पानी की बारी आदि को लेकर विवाद उत्पन्न होगे। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत करने क अलावा अन्य कोई विकल्प हम वादीगण के पास शेष नहीं रह गया है। दिनांक 15.02.2021 को हम वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से मिले व कहा कि संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर किलावाईज भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा लेवे तो प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट कहा कि वह तो अपने हिस्सा की भूमि को बिना विभाजन करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को जल्द ही बेचान कर देगा तथा खरीददार अपने आप अच्छी-अच्छी भूमि का कब्जा आपसे प्राप्त कर लेगा। यही वाद कारण है। वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार तथा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि चक 20 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 7/6 में वादीगण व प्रतिवादीगण का उनके हिस्सा व कब्जा अनुसार किलावाईज विभाजन करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के आदेश संबधित विभाग को दिये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण अजायब सिंह, नायब सिंह व प्रतिवादीगण जगदीश सिंह, हिम्मत सिंह न्यायालय में स्वय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया गया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जावे। वादीगण, वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादीगण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र, दोनों पक्षों के राजीनामा, चक 20 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 07/06 का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 20 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 07/06, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा चक 20 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 07/06 के मुरब्बा नम्बर 40, 41 की कुल 12.522 हैक्टर नहरी भूमि को राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक राजीनामा अंतिम [illegible] राजस्व ग्राम चक राजस्व ग्राम 20 एफ, पटवार हलका- फसेवाला, भ.[illegible] क्षेत्र [illegible]सिंहपुर, तहसील श्री करणपुर के खाता संख्या 07/06 ज[illegible] 2076 ता 7[illegible] [illegible]दी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक [illegible] अनुसार विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Scanned with CamScanner

[illegible] सिंह आदि बनाम जगदीश सिंह आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 आरटीए प्रकरण संख्या 13/2021

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अजायब सिंह पुत्र आशा सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	40	3/3	0.050 हैक्टर	नहरी	
			4/2	0.101 हैक्टर	नहरी	
			5/2	0.102 हैक्टर	नहरी	
			6/1	0.178 हैक्टर	नहरी	
			7/1	0.177 हैक्टर	नहरी	
			8/1	0.177 हैक्टर	नहरी	
			9/1	0.177 हैक्टर	नहरी	
			10/1	0.177 हैक्टर	नहरी	
		41	1	0.228 हैक्टर	नहरी	
			2	0.228 हैक्टर	नहरी	
			3	0.227 हैक्टर	नहरी	
			4	0.227 हैक्टर	नहरी	
			5	0.227 हैक्टर	नहरी	
			6	0.253 हैक्टर	नहरी	
			7	0.253 हैक्टर	नहरी	
			8	0.253 हैक्टर	नहरी	
			9	0.253 हैक्टर	नहरी	
			10	0.253 हैक्टर	नहरी	
			11/1	0.126 हैक्टर	नहरी	
			12/1	0.126 हैक्टर	नहरी	
			13/1	0.127 हैक्टर	नहरी	
			14/1	0.127 हैक्टर	नहरी	
			15/1	0.127 हैक्टर	नहरी	
2	नायब सिंह पुत्र आशा सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर	40	6/2	0.075 हैक्टर	नहरी	
			7/2	0.076 हैक्टर	नहरी	
			8/2	0.076 हैक्टर	नहरी	
			9/2	0.076 हैक्टर	नहरी	
			10/2	0.076 हैक्टर	नहरी	
			11	0.253 हैक्टर	नहरी	
			12	0.253 हैक्टर	नहरी	
			13	0.253 हैक्टर	नहरी	
			14	0.253 हैक्टर	नहरी	
			15	0.253 हैक्टर	नहरी	
			16	0.253 हैक्टर	नहरी	
			17	0.253 हैक्टर	नहरी	
			18	[illegible]	नहरी	
			19	[illegible]	नहरी	
			20	0.253 [illegible]	नहरी	
			21	[illegible]	[illegible]	
			22	[illegible]	नहरी	
			23	0.253 हैक्टर	नहरी	
			24	0.253 हैक्टर	नहरी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

(राजस्व) उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर

Scanned with CamScanner

3	जगदीश सिंह पुत्र आशा सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर	40	25	0.253 हैक्टर	नहरी	
			1/2	0.101 हैक्टर	नहरी	
			2/2	0.101 हैक्टर	नहरी	
		41	3/2	0.051 हैक्टर	नहरी	
			11/2	0.127 हैक्टर	नहरी	
			12/2	0.127 हैक्टर	नहरी	
			13/2	0.126 हैक्टर	नहरी	
			14/2	0.126 हैक्टर	नहरी	
			15/2	0.126 हैक्टर	नहरी	
			16	0.253 हैक्टर	नहरी	
			17	0.253 हैक्टर	नहरी	
			18	0.253 हैक्टर	नहरी	
			19	0.253 हैक्टर	नहरी	
			20	0.253 हैक्टर	नहरी	
			21	0.253 हैक्टर	नहरी	
			22	0.253 हैक्टर	नहरी	
			23	0.253 हैक्टर	नहरी	
			24	0.253 हैक्टर	नहरी	
			25	0.253 हैक्टर	नहरी	
4	हिम्मत सिंह बराड पुत्र नत्था सिंह बराड जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर	40	1/1	0.152 हैक्टर	नहरी	
			2/1	0.152 हैक्टर	नहरी	
			3/1	0.152 हैक्टर	नहरी	
			4/1	0.152 हैक्टर	नहरी	
			5/1	0.151 हैक्टर	नहरी	

रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 5/10/२०२१ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:01 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

अजायब सिंह बनाम जगदीश सिंह

धारा अन्तर्गत 88, 53, 91 आरटीए मुकदमा नं. 13/2021

निर्णय दिनांक :- 05.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक राजस्व ग्राम चक राजस्व ग्राम 20 एफ, पटवार हलका- फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्री करणपुर के खाता संख्या 07/06 जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्से की भूमि का प्रस्तुत राजीनामा अनुसार विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अजायब सिंह पुत्र आशा सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	40	3/3	0.050 हैक्टर	नहरी	
			4/2	0.101 हैक्टर	नहरी	
			5/2	0.102 हैक्टर	नहरी	
			6/1	0.178 हैक्टर	नहरी	
			7/1	0.177 हैक्टर	नहरी	
			8/1	0.177 हैक्टर	नहरी	
			9/1	0.177 हैक्टर	नहरी	
			10/1	0.177 हैक्टर	नहरी	
		41	1	0.228 हैक्टर	नहरी	
			2	0.228 हैक्टर	नहरी	
			3	0.227 हैक्टर	नहरी	
			4	0.227 हैक्टर	नहरी	
			5	0.227 हैक्टर	नहरी	
			6	0.253 हैक्टर	नहरी	
			7	0.253 हैक्टर	नहरी	
			8	0.253 हैक्टर	नहरी	
			9	0.253 हैक्टर	नहरी	
			10	0.253 हैक्टर	नहरी	
			11/1	0.126 हैक्टर	नहरी	
			12/1	0.126 हैक्टर	नहरी	
			13/1	0.127 हैक्टर	नहरी	
			14/1	0.127 हैक्टर	नहरी	
			15/1	[illegible]	नहरी	
2	नायब सिंह पुत्र आशा सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर	40	6/2	[illegible]	नहरी	
			[illegible]	[illegible]	नहरी	
			[illegible]	[illegible]	नहरी	
			9/2	[illegible] हैक्टर	नहरी	
			10/2	0.076 हैक्टर	नहरी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

			11	0.253 हैक्टर	नहरी	
			12	0.253 हैक्टर	नहरी	
			13	0.253 हैक्टर	नहरी	
			14	0.253 हैक्टर	नहरी	
			15	0.253 हैक्टर	नहरी	
			16	0.253 हैक्टर	नहरी	
			17	0.253 हैक्टर	नहरी	
			18	0.253 हैक्टर	नहरी	
			19	0.253 हैक्टर	नहरी	
			20	0.253 हैक्टर	नहरी	
			21	0.253 हैक्टर	नहरी	
			22	0.253 हैक्टर	नहरी	
			23	0.253 हैक्टर	नहरी	
			24	0.253 हैक्टर	नहरी	
			25	0.253 हैक्टर	नहरी	
3	जगदीश सिंह पुत्र आशा सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर	40	1/2	0.101 हैक्टर	नहरी	
			2/2	0.101 हैक्टर	नहरी	
			3/2	0.051 हैक्टर	नहरी	
		41	11/2	0.127 हैक्टर	नहरी	
			12/2	0.127 हैक्टर	नहरी	
			13/2	0.126 हैक्टर	नहरी	
			14/2	0.126 हैक्टर	नहरी	
			15/2	0.126 हैक्टर	नहरी	
			16	0.253 हैक्टर	नहरी	
			17	0.253 हैक्टर	नहरी	
			18	0.253 हैक्टर	नहरी	
			19	0.253 हैक्टर	नहरी	
			20	0.253 हैक्टर	नहरी	
			21	0.253 हैक्टर	नहरी	
			22	0.253 हैक्टर	नहरी	
			23	0.253 हैक्टर	नहरी	
			24	0.253 हैक्टर	नहरी	
			25	0.253 हैक्टर	नहरी	
4	हिम्मत सिंह बराड पुत्र नत्था सिंह बराड जाति जटसिख निवासी 20 एफ तहसील श्रीकरणपुर	40	1/1	0.152 हैक्टर	नहरी	
			2/1	0.152 हैक्टर	नहरी	
			3/1	0.152 हैक्टर	नहरी	
			4/1	0.152 हैक्टर	नहरी	
			5/1	0.151 हैक्टर	नहरी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:01 IST
Reason: SelfAttested

इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहे। उपर्युक्त [illegible] रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक [illegible] पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Scanned with CamScanner

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	00	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव मजि. उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांक: 06/10/2021

क्रमांकः राजस्व/ 2021/359
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ✦ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव मजि. उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.18 16:51:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner